आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

9.11.2018

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 02/2018–19
कृष्णा मित्रा
बनाम
तपन कुमार मित्रा
आदेश

यह नामांतरण अपील वाद आवेदन आवेदिका कृष्णा मित्रा, पति– स्व0 सत्यनारायण मिश्रा, सा0– बेउवा (फरक्का) जिला मुर्शिदाबाद (प0 बंगाल) के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 26/2017–18 दिनांक 30.07.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गई है। साथ ही धारा 05 के तहत् कालक्षन्ति आवेदन दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 26.07.2018 को वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणीः–

मौजा	खाता सं0	दाग सं0	रकवा
अबराटोला	31	215	00–12–02
		507	06–07–13
		513	01–18–14
कुल रकवा			08–18–09

उभय पक्ष के द्वारा वकालतन हाजरी दाखिल की गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से दिनांक 06.06.2019 को लिखित बहस दाखिल की गई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मौजा अबराटोला, खाता सं0– 31, दाग नं0– 215, 507 एवं 513 कुल रकवा 08 बीघा 18 कट्ठा 09 धूर जमीन का उत्तरवादीगण के द्वारा वर्ष 2017 में नामांतरण वाद दायर किया गया था।

उपरोक्त संदर्भ में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 26/2017–18 में दिनांक 30.08.2017 को गलत तरीके से उत्तरवादीगण के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। मौजा अबराटोला, जमाबंदी नं0– 31 दाग नं0– 215 रकवा 12 कट्ठा 02 धूर, दाग नं0– 507 रकवा 06 बीघा 07 कट्ठा 13 धूर एवं दाग नं0– 513 रकवा 01 बीघा 18 कट्ठा 14 धूर एवं दाग नं0– 479 रकवा 08 बीघा 12 कट्ठा 08 धूर कुल रकवा 17 बीघा 10 कट्ठा 17 धूर जमीन गेंजर सर्वे पर्चा में खुदीमुनी दास्या पति रामचरण घोष के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत खुदीमुनी दास्या नावल्द थी। खतियानी रैयत खुदीमुनी दास्या अपने जीवनकाल में ही अपना सम्पूर्ण जमीन अपने भतीजे नरेन्द्र कुमार मजूमदार एवं अनिल कुमार मजूमदार दोनों के पिता ज्ञानेन्द्र कुमार मजुमदार को दान स्वरूप दलिल सं0 309 दिनांक 05.04.1937 के द्वारा दी गई है। नरेन्द्र कुमार मजुमदार को एक मात्र पुत्र सत्यनारायण मजुमदार हुए, जो अपीलार्थी के पति है। नरेन्द्र कुमार मजुमदार एवं अनिल मजुमदार को अपने बुआ के द्वारा दान में प्राप्त सभी जमीन का आपसी बंटननामा के आधार पर दिनांक 04.04.1945 को बंटनामा कर लिए। उक्त बंटननामा में नरेन्द्र कुमार मजुमदार को कुल रकवा 29 बीघा 06 कट्ठा 13 धूर तथा अनिल कुमार मजुमदार को कुल रकवा 29 बीघा 06 कट्ठा जमीन प्राप्त हुआ। परन्तु मौजा अबराटोला जो इस अपील वाद की अनुसूची की जमीन है का सम्पूर्ण भाग दाग सं0 215 का रकवा 12 कट्ठा 02 धूर,

Scanned with CamScanner

दाग नं0– 479 का रकवा 08 बीघा 12 कट्ठा 04 धूर, दाग नं0– 507 का रकवा 06 बीघा 07 कट्ठा 13 धूर एवं दाग नं0– 513 का रकवा 01 बीघा 18 कट्ठा 07 धूर जमीन अपीलार्थी के ससुर नरेन्द्र कुमार मजुमदार को प्राप्त हुआ है। मौजा अबराटोला में अनिल कुमार मजुमदार को संबंधित बंटननामा में कोई भी अंश प्राप्त नहीं हुआ है।

अंत में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि नरेन्द्र कुमार मजुमदार ने अपने जीवन काल में अपना नीज अंश मौजा अबराटोला के दाग नं0– 479 रकवा 08 बीघा 12 कट्ठा 04 धूर जमीन खुदा बक्स शेख के पास बेचे हैं तथा शेष जमीन यानि दाग नं0– 215, 507 एवं 513 का कुल रकवा 08 बीघा 18 कट्ठा 09 धूर जमीन पर शांतिपूर्वक भोग दखल करते रहे एवं नरेन्द्र कुमार मजुमदार की मृत्यू के बाद उसके पुत्र सत्यनारायण मजुमदार एवं उनके मृत्यू के बाद उनकी विधवा पत्नी कृष्णा मित्रा का स्वत्व अधिकार एवं दखल कब्जा है, जो अपीलार्थी हैं।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 26/2017–18 में दिनांक 30.07.2017 को पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी की ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई है। साथ ही उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचीबद्ध कागजात दाखिल की गई है।

1. दस्तावेज सं0 IV–35/17 (Power of Attorney) की छाया प्रति।
2. निबंधित दलील सं0 657/1949 की छाया प्रति।

उपरोक्त दाखिल दस्तावेज का अवलोकन किया। उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि खतियानी रैयत खुदीमुनी दास्या ने निबंधित केवाला दान पत्र सं0– 309 दिनांक 05.04.1937 द्वारा अपनी पूरी सम्पति कुल रकवा 124 बीघा दान किये हैं। लेकिन यह अपील सम्पूर्ण रकवा 124 बीघा का नहीं है, बल्कि दाग नं0 215, 507, 513 एवं 479 के कुल रकवा 17 बीघा 10 कट्ठा 17 धूर में से उत्तरवादी के पिता के अंश 08 बीघा 18 कट्ठा 09 धूर के विरूद्ध लाया गया है। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उपरोक्त दागों में से अपीलार्थी के ससुर नरेन्द्र कुमार मजुमदार ने वर्ष 1949 में निबंधित केवाला सं0 657/1949 के द्वारा दाग नं0– 479 रकवा 08 बीघा 12 कट्ठा 08 धूर जमीन बिक्री किये है। फलस्वरूप नामांतरित दाग में अपीलार्थी के पति या ससुर के हिस्से में शेष जमीन नहीं बचता है।

अंत में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरवादी ने अपने पिता के अंश की जमीन का अपने नाम से विधिवत नामांतरण कराये हैं।

अतः उत्तरवादी की प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 26/2017–18 दिनांक 30/08.2017 में पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये हैं।

अंचल अधिकारी, बरहरवा से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि गैर मजरूआ आम खास, बासगीत पर्चा, भू इदबंदी वो बन्दोबस्ती भूमि नहीं है।

साथ ही आवेदक के पिता एवं चाचा को निबंधित दान पत्र सं0 309, दिनांक 05.04.1937 के द्वारा मौजा अबराटोला के खाता सं0 31, दाग नं0– 507, 215, 513 एवं 479 कुल रकवा 17 बीघा 10 कट्ठा 17 धूर प्राप्त है। जिसमें दाग सं0 479 रकवा 08 बीघा 12 कट्ठा 08 धूर को निबंधित केवाला सं0 657/1949 के द्वारा आवेदक के चाचा नरेन्द्र कुमार मजुमदार ने

Scanned with CamScanner

खोदा बक्स शेख के पास विक्रय कर दिया गया है एवं मौजा अबराटोला के शेष भूमि दाग सं0 507, 215 एवं 513 रकवा 08 बीघा 05 कट्ठा 19 धूर आवेदक अपने पिता के मृत्यू के पश्चात पिता के हिस्से की भूमि को दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं।

खुदीमुनी दास्य दानकर्त्ता ने निबंधित दान पत्र सं0 309, दिनांक 05.04.1937 के द्वारा उक्त खतियान के मौजा अबराटोला, खाता सं0 31, खेसरा सं0 507, 513, 215 एवं 479 कुल रकवा 17 बीघा 10 कट्ठा 17 धूर जमीन में से जमाबंदी नं0– 31 दाग नं0– 215, 507 एवं 513 के आंशिक रकवा 08 बीघा 18 कट्ठा 09 धूर जमीन नरेन्द्र कुमार मजुमदार एवं अनिल कुमार मजुमदार दोनों के पिता ज्ञानेन्द्र चन्द्र मजुमदार को दान दिया। फलस्वरूप हल्का कर्मचारी द्वारा नरेन्द्र मजुमदार एवं अनिल कुमार मजुमदार के वारिसानों को खास नोटिस निर्गत कर अगेतर कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित किया है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में सुनवाई के पश्चात नामांतरण हेतु अग्रेतर कार्रवाई की अनुशंसा अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा की गई है। साथ ही हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बरहरवा द्वारा भी नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

Mutation Law के अंतर्गत यह स्पष्ट सिद्धांत है कि अंचलाधिकारी को दाखिल/खारिज पर निर्णय करते हुए अधिकार/स्वत्व से संबंधित जटिल प्रश्नों पर विचार नहीं करना है।

माननीय पटना उच्च न्यायालय ने Kelendra Prasad Mandsl Vs. SOB, 2001(3) PLJR 223 में यह स्पष्ट किया है कि "Mutation is for collection of land revenue on the basis of possession"

LCR के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में दखल श्री सफीकुल शेख, पिता– स्व0 कलीमुद्दीन शेख का बताया है। जिन्होंने आम मुख्तारनामा सं0 VI–35/17, दिनांक 15.06.2017 के माध्यम से सत्यनारायण मित्रा, पिता– स्व0 नरेन्द्र कुमार मजुमदार से जमीन प्राप्त की है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी के पक्ष में नामांतरण दखल के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अंचल से नामांतरण वाद सं0 26/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2017 को अपास्त (Set-a-side) किया जाता है।

अंचल अधिकारी को निदेश दिया जाता है कि पुनः आवेदन आमंत्रित कर दाखिल–खारिज की कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner